



इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - सी संख्या - 1092 सन् 2026

श्रीमती जय देवी

..... याचिकाकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 5 अन्य

.....उत्तरदातागण

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता : आनंद मोहन पांडेय, ब्रजेश कुमार अस्थाना

उत्तरदातागण के अधिवक्ता : सी.एस.सी.

न्यायालय संख्या - 6

माननीय न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया,

1. उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 35 के अधीन याचिकाकर्ता के विरुद्ध निजी-उत्तरदातागण द्वारा कार्यवाही शुरू की गई थी, जिसे वाद संख्या 1284 सन् 2016, कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या टी20160635041284 के रूप में दर्ज किया गया था उक्त कार्यवाही में, उत्तरदाता संख्या 3 द्वारा 07.02.2024 को निजी-उत्तरदातागण के पक्ष में एक आदेश पारित किया गया था।

2. उपरोक्त के विरुद्ध व्यथित होकर, याचिकाकर्ता ने उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 207 के अधीन प्रदान की गई अपील को प्राथमिकता दी है, जिसे वाद संख्या 1209 सन् 2024, कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या टी202406350401209 के रूप में दर्ज किया गया था। उक्त अपील को उत्तरदाता संख्या 2 अर्थात् उप-प्रभागीय मजिस्ट्रेट, (न्यायिक) तहसील कालपी, जिला जालौन द्वारा

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



10.10.2025 को खारिज कर दिया गया था। उपरोक्त के विरूद्ध व्यथित होकर, याचिकाकर्ता ने वर्तमान रिट याचिका को प्राथमिकता दी है।

3. उपरोक्त आदेश के विरूद्ध, याचिकाकर्ता के लिए उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 210 के अधीन प्रदान किए गए संबंधित सक्षम प्राधिकारी से संपर्क करने के लिए वैधानिक वैकल्पिक उपाय उपलब्ध है।

4. तदनुसार, वैकल्पिक उपाय की उपलब्धता के आधार पर रिट याचिका खारिज की जाती है।

(न्यायमूर्ति प्रकाश पाड़िया,)

फ़रवरी 10, 2026

स्वाति

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"